रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 7215/2019

(एस.एल.पी.(सिविल) संख्या 30933/2017 से उद्भूत)

राजस्थान राज्य और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

त्रिलोक राम - प्रत्यर्थी

निर्णय

के.एम. जोसेफ, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता ने राजस्थान राज्य में विभिन्न जिला परिषदों में शिक्षक ग्रेड III (स्तर I और II) की भर्ती के लिए 11.8.2013 को एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4.9.2013 निर्धारित की गई थी। आवेदकों को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी थी। रिट याचिकाकर्ता, जो प्रत्यर्थी है (बाद में "प्रत्यर्थी"के रूप में संदर्भित) B.S.T.C. पाठ्यक्रम (B.S.T.C. एक आवश्यक योग्यता निर्धारित है) से गुजर रहा था। हालाँकि, उन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया। अपीलकर्ता ने सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पाया कि प्रत्यर्थी आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि

पर B.S.T.C. की अपेक्षित योग्यता नहीं रखता था। प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के आधार पर उपस्थित हुए, जिसमें उन्हें और अन्य को अपना आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई थी, हालांकि, यह SBCWP No.10845/2013 में निर्णय के अधीन था। इसके बाद उन्होंने बी.एस.टी.सी द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा किया और परिणाम भी घोषित कर दिया गया। भर्ती परीक्षा का परिणाम 17.5.2014 को घोषित किया गया था। यह पाते हुए कि प्रत्यर्थी और अन्य के संबंध में परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था, उन्होंने रिट याचिका संख्या 244/2015 दायर की। उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता के परिणाम को सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष लाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि परिणाम घोषित किए जाएं। उत्तरदाता ने 158.41 अंक प्राप्त किए। प्रत्यर्थी को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था। यद्यपि प्रत्यर्थी ने कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, उसका नाम दिनांक 16.03.2015 की चयन सूची में नहीं पाया गया। आवश्यक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करने और प्राप्त नहीं करने के बाद, रिट याचिका जिसके कारण वर्तमान अपील (W.P.No.2801/2015) दायर की गई थी, अंतिम चयन सूची दिनांक 16.3.2015 को रद्द करने की और अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थी की चयन सूची घोषित करने का निर्देश देने के लिए मांग की गई थी क्योंकि प्राप्त अंक संबंधित श्रेणी में कट-ऑफ से अधिक थे। अंत में, प्रत्यर्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ शिक्षक ग्रेड III (स्तर I) के पद पर नियुक्त करने का निर्देश मांगा गया था। अपीलार्थी ने प्रति शपथ पत्र दाखिल किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दी।

प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील में, आक्षेपित आदेश द्वारा, हालांकि, खंडपीठ ने रिट याचिका को स्वीकार किया ।

3. जो विवाद हमारे द्वारा सुलझाया जाना है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 (इसके बाद "नियम"के रूप में संदर्भित) के नियम 266(3) के परन्तुक को उचित ठहराना सही था, जिस पर कि प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किया गया था और जो अधिसूचना दिनांक 11.5.2011 द्वारा नियम 266(3) के प्रतिस्थापन के बावजूद बरकरार रहा। परंतुक इस प्रकार है:

> "बशर्ते कि वह व्यक्ति जो B.Ed./B.S.T.C. परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, लेकिन उसे उक्त परीक्षा के परिणाम की घोषणा से पहले जिला स्थापना समिति को उक्त शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।"

4. संक्षेप में, यदि परंतुक लागू होता है, तो प्रत्यर्थी योग्यता के आधार पर चयन और नियुक्ति के लिए पात्र और योग्य हो जाएगा। दूसरी ओर यदि परंतुक उपलब्ध नहीं था, तो प्रत्यर्थी इस कारण के लिए पात्र नहीं होगा कि जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवाद किया गया था, आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि के अनुसार प्रत्यर्थी ने बी.एस.टी.सी. परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। प्रत्यर्थी वास्तव में परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था और परंतुक के तहत आश्रय लेते हुए, प्रत्यर्थी ने उसकी शर्तों पर योग्य होने का दावा किया। उच्च न्यायालय ने नियम 266 के खंड (3) में दिनांक 11.5.2011 के संशोधन का उल्लेख करने के बाद उक्त परंतुक के उद्देश्य पर विचार किया। न्यायालय ने इस बिंदु पर केस लॉ को विज्ञापित किया। यह पाया गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि परन्तुक को हमेशा मुख्य प्रावधान के दायरे तक ही सीमित रखा जाए। कभी-कभी क़ानून में, यह तर्क दिया जाता है कि एक परंतुक पूर्ववर्ती खंड की विषय वस्तु से संबंधित नहीं हो सकता है या उस खंड के

लिए बाहरी मामला हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इसकी व्याख्या एक मूल प्रावधान के रूप में की जानी चाहिए जो इसमें शामिल मामले से स्वतंत्र रूप से निपटता है और न कि मुख्य और पूर्ववर्ती खंड को योग्य बनाने के रूप में। नियम 266 के खंड (3) में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में यह पाया गया कि यह न तो प्रावधान का विस्तार करती है और न ही उससे योग्यता प्राप्त की गई। परंतुक स्पष्ट रूप से भिन्न क्षेत्र से संबंधित था, अर्थात् वह समय जिसमें नियमों के तहत निर्धारित पात्रता प्राप्त की जानी थी। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में उप-नियम (3) में संशोधन बाद के कानून के कारण आवश्यक था। दिनांक 11.5.2011 के संशोधन द्वारा उप नियम (3) को प्रतिस्थापित किए जाने के बाद भी, परंतुक का प्रभाव बना रहा। यह पाया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में विज्ञापन में प्रावधान के विपरीत होने की स्थिति इस कारण से अवैध होगी कि एक कार्यकारी निर्देश नियम की जगह नहीं ले सकता। रिट अपीलों की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता पिछले वेतन को छोड़कर अपनी योग्यता स्थिति के आलोक में रोजगार के लाभ के हकदार पाए गए।

5. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी और प्रत्यर्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री ऐश्वर्या भाटी को सुना।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विज्ञापन दिनांक 11.8.2013 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर आवेदकों के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। प्रत्यर्थी के पास स्वीकार्य रूप से उक्त योग्यता नहीं थी, बल्कि वह केवल तभी योग्य हो सकता है जब परंतुक लागू किया जाता है। प्रत्यर्थी ने विज्ञापन को चुनौती नहीं दी थी। उन्होंने चयन में भाग लिया था, इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि विज्ञापन के तहत योग्यता से संबंधित मुद्दे को

निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ पॉइंट अंतिम तिथि थी। वह आगे यह भी प्रस्तुत करते है कि नियम 266 के खंड (3) में प्रतिस्थापन द्वारा लाए गए 5.10.2011 के संशोधन ने परंतुक को हटा दिया। जब नियम 266 के खंड (3) को उक्त संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किए गए परंतुक को जारी रखना उचित नहीं समझा। 11.5.2011 को नियम 266 के खंड (3) में प्रतिस्थापन किए जाने के बाद विज्ञापन दिनांक 11.8.2013 जारी किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की है कि परंतुक इस आधार पर प्रतिस्थापन से बच गया कि यह एक स्वतंत्र प्रावधान था जिसका योग्यता में परिवर्तन से कोई लेना-देना नहीं था, जिसे नियम 266 के खंड (3) के प्रतिस्थापित प्रावधान के माध्यम से लाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि हजारों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और उन्हें नियुक्त किया गया था जो विज्ञापन के संदर्भ में योग्य थे, अर्थात्, जो आवेदन करने के लिए उल्लिखित अंतिम तिथि पर योग्यता रखते थे। वह इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि यदि उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा जाता है, तो यह उन उम्मीदवारों के साथ भी अन्याय होगा, जो विज्ञापन पर भरोसा करते थे और प्रत्यर्थी की तरह स्थिति में थे, जो परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन इस आधार पर आवेदन नहीं किया कि उनमें योग्यता नहीं थी।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि नियम 266 का उपनियम (3) शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर योग्यता परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो गई। दिनांक 11.5.2011 के संशोधन के समय जो कुछ हुआ वह योग्यता का एक नया सेट था जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियम 266 के उप-नियम (3) में डाला गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पाया

गया परंतुक ऐसा नहीं था जो इस तरह की योग्यता से निपटें, लेकिन केवल ऐसे व्यक्तियों को अनुमति देने पर विचार किया गया जो विज्ञापन जारी होने पर योग्य नहीं थे, लेकिन परीक्षा में शामिल हुए थे, वे भी इसमें शर्तों के अधीन आवेदन कर सकते थे। इस प्रकार, परंतुक ने केवल उन उम्मीदवारों के लिए भर्ती के दरवाजे खोलकर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान की, जिन्हें अन्यथा बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया कि विचाराधीन परंतुक पहली बार 1.7.2004 को डाला गया था। 2006 में, नियम 266 (3), यह इंगित किया गया है कि संशोधित किया गया था और उक्त संशोधन के माध्यम से योग्यता का एक नया सेट पेश किया गया था। हालांकि, नियम 266(3) में प्रावधान जारी रहा। वास्तव में, उन्होंने हमारा ध्यान 29.2.2012 के निम्नलिखित परिपत्र की ओर आकर्षित किया:

"राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास और पंचायती राज

विभाग

पंचायती राज प्राथमिक शिक्षा

सं.ईके 914/(10) परवी/प्राशी/2010/116 दिनांक 29.02.12

को

समस्त जिलाधिकारी

परीक्षा नियंत्रक।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद

अपर परीक्षा नियंत्रक ।

विषय: तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2012 के लिए सीधी भर्ती के संबंध में।

संदर्भ: विभागीय पत्रांक 94 दिनांक 21.2.12

उक्त विषय के संदर्भ में बताया जाता है कि दिनांक 28.02.2012 को प्रतियोगिता परीक्षा, 2012 के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती के संबंध में एक वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की गई थी जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने निम्नलिखित बिंदु उठाये:-

1. क्या वे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 उत्तीर्ण की है, लेकिन प्रशिक्षण परीक्षा में भाग लिया था और परिणामस्वरूप परिणाम घोषित नहीं हुए थे, वे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय पत्र संख्या 94 दिनांक 21.02.2012 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और विज्ञापन में बिंदु संख्या 7 (7) पर "इसमें वर्णित पात्रताएं आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक हासिल कर ली गई हैं"शब्दों को "ऐसे व्यक्ति जो बी.एड./बीएसटीसी/डीएसई/ बी.एड. (सामान्य/विशेष शिक्षा) परीक्षा में शामिल होने वाले या उपस्थित होने वाले प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षक (सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा) पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। लेकिन उसे प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की घोषणा से पहले शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उसी के अनुसार पढ़ा जाए।

2. तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, 2012 के लिए विज्ञापित पद में विज्ञापित पदों में विशेष शिक्षकों (मानसिक रूप से मंद, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित) की भाषा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है?

इस बिन्दु पर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की सहमति से स्पष्ट किया जाता है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए कक्षा 6 से 8 (उच्च प्राथमिक विद्यालय) द्वितीय स्तर के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षकों (मानसिक रूप से विक्षिप्त, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित) के लिए भाषा हिंदी-अंग्रेजी होगी। इसलिए, कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय स्तर के लिए भाषा हिंदी, अंग्रेजी में प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे।

अतः कृपया सुनिश्चित करें कि तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2012 के संबंध में आगे की कार्यवाही करने के लिए उपरोक्त संशोधनों को आज वेबसाइट पर रखा जाए।

ह0/- अपर मुख्य सचिव

ग्रामीण विकास और

पंचायती राज विभाग”

8. इसलिए, वह प्रस्तुत करेगी कि इस तथ्य के बावजूद कि नियम 266 के उप-नियम (3) को 2006 में प्रतिस्थापित किया गया था, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, परंतुक बरकरार रहा और अपीलकर्ता के लिए अन्यथा विरोध करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह स्वयं अधिकारियों की समझ थी कि नियम 266 के खंड (3) में किए गए प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में परंतुक समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने हमारी स्वीकृति के लिए उच्च न्यायालय के तर्क की भी सराहना की, अर्थात्, परंतुक के संचालन का क्षेत्र स्वतंत्र था और नियम 266 के खंड (3) द्वारा कवर किए गए प्रांत से अलग था। यह इंगित किया गया था कि कई व्यक्ति परंतुक से प्रभावित होते हैं। आगे यह बताया गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रावधान लागू था, विज्ञापन के तहत प्रत्यर्थी की भागीदारी घातक नहीं थी। एक विज्ञापन में जो प्रावधान वैधानिक नियमों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं

थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से नष्ट होना चाहिए और उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए।

9. उसी के जवाब में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रत्यर्थी के तर्क से सहमति व्यक्त की कि परंतुक पहली बार 1.7.2004 को डाला गया था। उन्होंने यह भी सहमति व्यक्त की कि नियम 266 में 28.6.2006 को संशोधन किया गया था। नियम 266 के खंड (3) के प्रतिस्थापन में परंतुक के लोप के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हालाँकि, उनके द्वारा यह तर्क देना सबसे प्रासंगिक है कि 29.11.2006 को नियम 266(3) में एक और संशोधन किया गया था और उक्त संशोधन के तहत परंतुक को पुनर्जीवित किया गया था। नियम 266 के परन्तुक में एक और संशोधन किया गया, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्थान पर जिला स्थापना समिति शब्द रखा गया। हालाँकि, वह 11.5.2011 को फिर से नियम 266 के खंड (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए कहेंगे। वास्तव में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ऐसा कोई संशोधन किया गया था। उनका तर्क हालांकि 2006 में जो हुआ उससे अलग है, जब नियम 266(3) में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, प्रतिस्थापन से पहले मौजूद परंतुक को 11.5.2011 को हुए प्रतिस्थापन के बाद जीवन में वापस लाया गया था। , परंतुक को दफन कर दिया गया जिससे इसे वापस जीवन में नहीं लाया गया। दूसरे शब्दों में, 2011 में नियम 266 में खंड (3) के स्वीकृत प्रतिस्थापन के बाद, वर्ष 2006 में किए गए प्रावधान को फिर से डाला नहीं गया है। इसका मतलब है कि 11.5.2011 के प्रतिस्थापन के बाद, प्रावधान का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसके बाद, इसे कभी भी विचाराधीन नियमों में वापस नहीं लाया गया।

10. परिपत्र दिनांक 29.2.2012 के संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि यह वर्ष 2012 के विज्ञापन से संबंधित है। उस समय हालांकि वास्तव में प्रावधान नहीं था और विज्ञापन उक्त आधार पर जारी किया गया

था अर्थात् उम्मीदवारों को विज्ञापन के तहत निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार योग्यता रखने की उम्मीद थी, परंतुक के प्रावधानों को शामिल करने के लिए उक्त खंड को विज्ञापन में ही बदलने का निर्णय लिया गया। दूसरे शब्दों में, हालांकि मूल रूप से विज्ञापन में योग्यता के अधिकार का निर्धारण करने की अंतिम तिथि पर विचार किया गया था, विज्ञापन को संशोधित करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया था, इस आधार पर कि प्रावधान स्थिति को नियंत्रित करेगा। वह आगे बताते हैं कि हमारा संबंध 2012 के विज्ञापन से नहीं बल्कि 11.8.2013 के विज्ञापन से है। जहां तक वर्तमान विज्ञापन का संबंध है, 29.2.2012 के परिपत्र पर कोई लागू नहीं होगा। जहां तक विज्ञापन के संबंध में है, अधिकारियों ने इस आवश्यकता को भी नहीं बदला है कि उम्मीदवार के पास अंतिम तिथि के अनुसार योग्यता होनी चाहिए। विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार योग्यता रखने वाले उम्मीदवार की आवश्यकता नियम 266 (3) के अनुरूप है। विज्ञापन, इस प्रकार क्षेत्र को धारण करने वाले वैधानिक नियमों के अनुरूप है। वह निःसंदेह यह प्रस्तुत करेंगे कि कुछ व्यक्तियों को इस आधार पर नियुक्त किया जा सकता है कि परंतुक लागू होगा। अपीलकर्ता का कहना है कि इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हालांकि वह इस बात पर जोर देंगे कि सही कानूनी स्थिति को नियंत्रित किया जाना चाहिए, अवैधता को कायम नहीं रखा जाना चाहिए और वास्तव में 2011 के बाद प्रावधान प्रभावी नहीं हो सकता है।

11. हम पहले ही परंतुक पर ध्यान दे चुके हैं। परंतुक पहली बार 1.7.2004 को पेश किया गया था (हालांकि भिन्नता के साथ पूछताछ के लिए प्रासंगिक नहीं है) नियमों में नियम 266 राजस्थान पंचायत राज नियमों का एक हिस्सा है। जिस श्रेणी से हम संबंधित हैं, उसके लिए शिक्षकों की योग्यता निस्संदेह, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित की गई है। यह नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा

23 के प्रावधानों के आधार पर किया गया है। 2004 में नियम 266 (3) दिनांक 28.6.2006 में किए गए संशोधन के आधार पर परंतुक को शामिल किए जाने के बाद, नियम 266 के खंड (3) में योग्यताएं बदली गईं और संशोधन के माध्यम से नई योग्यताएं शुरू की गईं। यह खंड (3) का प्रतिस्थापन माना जाता है। यह याद रखना चाहिए कि राजस्थान पंचायती राज (चौथा संशोधन) नियम 2004 के आधार पर नियम 266 के खंड (3) में प्रावधान पहले डाला गया था।

12. इसके बाद 11.5.2011 को फिर से नियम 266(3) को प्रतिस्थापित किया गया। एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यताएं सम्मिलित की गईं। यह निम्नानुसार पढ़ता है:

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अन्य सभी शक्तियाँ जो इसे इस निमित्त सक्षम करती हैं, राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 है।
2. नियम 266 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियमावली, 1996 के नियम 266 के विद्यमान खण्ड (3), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
(3) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (सीधी भर्ती द्वारा 100%)
(ए) सामान्य शिक्षा

स्तर- (i) कक्षा I से V योग्यता के रूप में	समय-समय पर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उप धारा (1) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित
स्तर- (ii) कक्षा छठी से आठवीं तक	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उप धारा (1) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यता
(बी) विशेष शिक्षा	
स्तर- (i) कक्षा I से V तक	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उप धारा (1) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद

	(एनसीटीई) द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यता समय पर
स्तर- (ii) कक्षा छठी से आठवीं तक	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उप धारा (1) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यता (जोर दिया गया)

13. उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि जब प्रतिस्थापन 11.5.2011 को प्रभावी हुआ था, तो जो हुआ वह योग्यता के एक सेट को योग्यता के दूसरे सेट से बदल दिया गया था। नियम 266 के खंड (3) का डोमेन विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के पास होने वाली योग्यता के रूप में घोषणा थी। 1.7.2004 को डाला गया परंतुक मुख्य प्रावधान में घोषित योग्यताओं में न तो जोड़ा गया और न ही घटाया गया। केवल उन उम्मीदवारों को अवसर देना था जिन्होंने आवेदन करने की अंतिम तिथि तक योग्यता हासिल नहीं की थी, लेकिन जो संबंधित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें पद के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया था। इस प्रकार, परंतुक वास्तव में एक लाभकारी प्रावधान था क्योंकि यह उन लोगों के लिए अवसर की एक खिड़की प्रदान करता था जो इस तरह योग्य

नहीं थे, जो परीक्षा में उपस्थित होकर योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे। निस्संदेह यह परंतुक की शर्तों के अधीन है।

14. हम उच्च न्यायालय और प्रत्यर्थी के विद्वान वकील से सहमत हैं कि प्रावधान का उद्देश्य मुख्य प्रावधान से संचालन का एक अलग क्षेत्र था जिसका कार्य केवल अपेक्षित योग्यताओं को अभिव्यक्त करना था।

15. तर्क यह भी है कि वर्ष 2006 में भी जब योग्यता के नए सेट की शुरुआत की गई थी, तो नियमों के नियम 266 के खंड (3) के प्रतिस्थापन द्वारा इसे सुगम बनाया गया था। इसलिए, विवाद यह है कि जब एनसीटीई द्वारा नियम 266(3) में निहित मौजूदा योग्यताओं को प्रतिस्थापित करके, नई योग्यताओं को निर्धारित करने के परिणामस्वरूप योग्यता बदल गई, तो नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने कानून की आवश्यकता का अनुपालन किया। इसका प्रावधान के लाभकारी प्रावधानों की निरंतर उपलब्धता से कोई लेना-देना नहीं है।

16. हम इस मामले में संशोधन अधिनियम के प्रभाव से संबंधित हैं जो एक प्रावधान के प्रतिस्थापन के बारे में लाया। एक संशोधन जो प्रावधान के प्रतिस्थापन के बारे में लाता है, अनिवार्य रूप से दो चीजें करता है। सबसे पहले, जो प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया है, वह निरसन से गुजरता है। साथ ही, डाले गए नए प्रावधानों के माध्यम से एक पुन: अधिनियमित किया गया है।

17. हम केवल इस न्यायालय के राजस्थान राज्य बनाम मांगीलाल पिंडवाल में एआईआर 1996 एससी 2181 में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार आयोजित किया:

“9. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बताया गया है, वैधानिक प्रावधान के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में दो चरण होते हैं; सबसे पहले, पुराने नियम को समाप्त किया जाता है और उसके स्थान पर नए नियम को अस्तित्व में लाया जाता है। (देखें: कोटेश्वर विट्ठल कामथ बनाम के. रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी [(1969) 1 एससीसी 255: (1969) 3 एससीआर 40], एससीआर पृष्ठ 48 पर।) दूसरे शब्दों में, एक प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पहले के प्रावधान को निरस्त कर दिया जाता है और नए प्रावधान द्वारा इसका प्रतिस्थापन किया जाता है। एक संविधि के निरसन के संबंध में कानून इस प्रकार सांविधिक निर्माण पर सदरलैंड में कहा गया है:

"निरसन के प्रभाव के लिए शासी नियम को निर्धारित करने के लिए एक क़ानून के निरसन का प्रभाव जहां न तो बचत खंड और न ही सामान्य बचत क़ानून मौजूद है, भविष्य में निरस्त अधिनियम की प्रभावशीलता को नष्ट करना है और क़ानून के तहत आगे बढ़ने के अधिकार को छीनने के लिए, जो पिछली और बंद की गई कार्यवाही को छोड़कर माना जाता है कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था। (वॉल्यूम I, पैरा 2042, पीपी. 522-523)

10. इसी प्रकार क्रॉफर्ड की कानून की व्याख्या में कहा गया है:

"निरसन का प्रभाव, आम तौर पर - पहली जगह में, एक पूर्ण निरसन भविष्य में निरस्त अधिनियम की प्रभावशीलता को नष्ट कर देगा और एक सामान्य नियम

> के रूप में, उस पर निर्भर अछूते अधिकारों को नष्ट करने के लिए काम करेगा। हालाँकि, कई मामलों में, जहाँ विधियों को निरस्त कर दिया जाता है, वे उस अवधि के कानून बने रहते हैं, जिसके दौरान वे कई मामलों के संदर्भ में लागू थे। (पृ. 640-641)
>
> 11. लॉर्ड टेन्टरडेन और टिंडल, सी.जे. की टिप्पणियों को क्रेज़ ऑन स्टैच्यूट लॉ में उपर्युक्त परिच्छेदों में संदर्भित किया गया है, यह भी इंगित करता है कि यह सिद्धांत कि निरसन पर क़ानून समाप्त हो जाता है, अपवाद के अधीन है कि यह पिछले और बंद लेन-देन के संबंध में मौजूद है। उसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून है। (देखें: कुदरत उल्लाह बनाम म्युनिसिपल बोर्ड [(1974) 1 एससीसी 202: (1974) 2 एससीआर 530], एससीआर पृष्ठ 539 पर)
>
> 12. इसका अर्थ यह है कि किसी क़ानून के निरसन के परिणामस्वरूप निरस्त की गई क़ानून ऐसे निरसन की तिथि से प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है, लेकिन निरसन कानून के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करता है, जिसे इस तरह के निरसन की तारीख से पहले की अवधि के दौरान निरस्त कर दिया गया था। (जोर दिया गया)

18. इसलिए, जब प्रारंभ में 28.6.2006 को एक प्रतिस्थापन किया गया, तो नियम 266 के खंड (3) के सभी प्रावधान, जैसा कि यह था, एक निरसन का सामना करना पड़ा और इसके स्थान पर एक नए अवतार का जन्म हुआ। यह एक बार याद किया जाना चाहिए कि नियम 266 के खंड (3) में 1.7.2004

को परंतुक डाला गया था। इसलिए, जब नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने 28.6.2006 के संशोधन द्वारा नियम 266 के खंड (3) को प्रतिस्थापित किया, तो अनिवार्य परिणाम नियम 266 के पूरे खंड (3) को परंतुक सहित निरस्त करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्थापन द्वारा नियम 266 (3) में संशोधन स्पष्ट रूप से परंतुक को नहीं बचाता है। इस तथ्य से अनजान नहीं होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि परंतुक नियम 266 के खंड (3) का एक अभिन्न अंग था। चूँकि नियम 266(3) को प्रतिस्थापित किया गया था, उसी के कानूनी परिणामों के संबंध में, परन्तुक जीवित नहीं रह सका।

19. तथ्य यह है कि दिनांक 28.6.2006 के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप परंतुक का अस्तित्व समाप्त हो गया था, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, तथ्य यह है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने 29.11.2006 की अधिसूचना जारी करके नियम 266(3) के परंतुक को फिर से शामिल करके कदम उठाना चुना। यह इस प्रकार पढ़ता है:

> "बशर्ते कि वह व्यक्ति जो B.Ed./B.S.T.C./DSE/B.Ed. (विशेष शिक्षा) में उपस्थित हुआ हो या हो रहा हो। परीक्षा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों (सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा) के पद हेतु आवेदन हेतु पात्र होंगे। लेकिन उसे प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की घोषणा से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग को उक्त शैक्षिक योग्यता हासिल करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।"

बाद के संशोधन द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्थान पर 'जिला स्थापना समिति'शब्द जोड़ा गया।

20. नियम 266 (3) को संशोधित अधिनियम दिनांक 28.6.2006 द्वारा जीवन में लाया गया था जब तक कि अधिसूचना दिनांक 11.5.2011 द्वारा प्रतिस्थापन का सामना करना पड़ा। जाहिर है, योग्यता बदलने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप, नियम 266 (3) को प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि, यह विवाद में नहीं है कि दिनांक 11.5.2011 के प्रतिस्थापन के बाद, प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किए गए प्रावधान को वापस अस्तित्व में नहीं लाया गया है जैसा कि वर्ष 2006 में किया गया था।

21. हमें लगता है कि प्रतिस्थापन के वास्तविक प्रभाव के रूप में जो भी अस्पष्टता हो सकती है, वह नियम 266 के खंड (3) के विधायी इतिहास द्वारा उसमें परंतुक सहित हटा दी गई है। विधायी मंशा स्पष्ट है कि जब नियम निर्माता ने खंड (3) के प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया, तो इसका इरादा था कि खंड (3) की संपूर्णता समाप्त हो जाएगी क्योंकि वास्तव में एक निरसन का प्रभाव है और प्रावधानों का एक नया समूह इसकी जगह ले रहा है। यह इस समझ पर है कि नियम बनाने वाला प्राधिकरण, जब इसका इरादा था कि प्रावधान को शासन करना चाहिए, तो उसने स्पष्ट रूप से ऐसा किया, और उसने 29.11.2006 की अधिसूचना जारी की। माना कि 11.5.2011 के बाद परंतुक को फिर से जीवंत नहीं किया गया है। जाहिर है, 2006 में नियम 266 के खंड (3) के प्रतिस्थापन के बाद परंतुक को जीवन में वापस लाने वाली अधिसूचना दिनांक 29.11.2006 को उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।

22. जहां तक प्रत्यर्थी द्वारा 29.2.2012 के परिपत्र का संबंध है, यह 2012 में जारी विज्ञापन से संबंधित है, हालांकि कानूनी तौर पर नियम 266(3) का परंतुक मौजूद नहीं था। चाहे जो भी कारण रहे हों, परंतु विज्ञापन में शर्त बदलने के बाद, परंतुक का लाभ बढ़ाते हुए आदेश जारी किया गया। अंतिम तिथि के अनुसार योग्यता रखने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित की गई

है। जहां तक उस विज्ञापन का संबंध है, जो वर्ष 2013 का है, प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 29.2.2012 के परिपत्र को कानून और तथ्यों दोनों के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है।

23. विज्ञापन के तहत आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अंतिम तिथि पर योग्यताएं होनी चाहिए, जब ऐसा प्रदान किया जाता है। हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि दिनांक 11.5.2011 की अधिसूचना द्वारा नियम 266(3) के प्रतिस्थापन के बाद परंतुक का अस्तित्व समाप्त हो गया था, विज्ञापन के वैधानिक नियम के विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

24. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि अपील केवल स्वीकार करने योग्य है। हम अपील की अनुमति देते हैं और रिट अपील संख्या DBCSAW NO.667/2015 में उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है ।

न्यायाधीश (संजय किशन कौल)

न्यायाधीश (के.एम. जोसेफ)

नई दिल्ली

सितम्बर 12, 2019

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।